बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक:- 209728 पटना, दिनांक:- 21/11/2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य निर्धारण)-102-06/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि भुगतान करने से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध लाभुकों को प्रथम किश्त की सहायता राशि सामान्य जिलों में 35,000 रूपये एवं IAP जिलों में 37,500 रूपये लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित करने का निदेश दिया गया था । किन्तु विभाग के संज्ञान में यह बात आयी है कि कुछ जिलों/प्रखण्डों द्वारा पूर्व की भांति 60,000 रूपये की दर से सहायता राशि का अंतरण लाभुकों के बैंक खाता में किया गया है । इस संबंध में जिलों द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि किन जिलों/किन प्रखण्डों में कितने लाभुकों को 60,000 रूपये की दर से राशि अंतरित की गयी है ।

अत: आपसे अनुरोध है कि निम्न प्रपत्र में प्रखण्डवार प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

<u>प्रपत्र</u>

जिला का नाम :-

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य	प्रखण्ड द्वारा स्वीकृत आवासों की सं0	कितने लाभुकों को 60,000 रूपये की दर से राशि अंतरित की गयी	कितने लाभुकों को 35,000/37,500 रूपये की दर से राशि अंतरित की गयी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक-208058 दिनांक-12.11.14 द्वारा प्रेषित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
21/11/14

ज्ञापांक 209728 पटना, दिनांक 21/11/2014

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
21/11/14

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1133.doc